जनगर्जन

वर्ष 25 अंक 5 मासिक नई दिल्ली जनवरी-2011 विक्रमी संवत्-2067 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक-शुल्क: 60रुपये

पेट्रोल की कीमतों में सात महीनों में सात बार बढ़ोतरी: मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में सरकार विफल, शासन करने का अधिकार खोया

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

कांग्रेस नीत संप्रग-द्वितीय सरकार मुद्रास्फीति को रोकने में पूरी तरह से विफल हो गई है, जो कि नवम्बर 2010 में 7.48 प्रतिशत की तुलना में दिसम्बर 2010 में 8.43 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा खाद्य स्फीति एक गंभीर खतरा बन गयी है और यह 18.32 प्रतिशत तक पहुँच गई है। शरद ऋतु में भी सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। प्याज के दामों में अचानक बढ़ोतरी, जो कि 80 रुपये किलो तक पहुँच गई, ने आम आदमी को बड़ा आघात तो लगाया ही और अचम्भे में भी डाल दिया। प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री और योजना आयोग बार-बार ढांढस बंधा रहे है कि महँगाई की दर नियंत्रित हो जायेगी, लेकिन इस तरह के कोई लक्षण दिखाई दे नहीं रहे। गरीबों को महँगाई की भेंट चढ़ाकर व्यवसायियों को कम समय में अधिक मुनाफा अर्जित करने के सहमति देने के इस दुर्दांत घटना को अपराध की संज्ञा देनी चाहिये। प्याज की बढ़ती कीमतों का फायदा किसानों को नहीं मिला, बल्कि इसका फायदा सिर्फ व्यवसायियों को ही मिला। इस प्रकार के अपराधिक व्यवसाय के लिये सरकार कोई जाँच नहीं कर रही है, क्योंकि वह इन बेईमान व्यवसायियों को दंडित करना ही नहीं चाहती। और अब प्याज के निर्यात को रोकने की बात कह रही है, यह कदम पहले ही क्यों नहीं उठाये गये। इसका आधारभूत कारण सरकार की जनविरोधी नीति ही है। सरकार से बार-बार मांग की जा रही है कि वह वायदा कारोबार पर पाबंदी लगाये क्योंकि इससे खाद्य मुद्रा स्फीति संकट गहराता जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगा रही है।

इसी क्रम में ईंधन का बुरा हाल है, केन्द्र सरकार ईंधन के दामों में बार-बार वृद्धि को मंजूरी दे रही है। 15 जनवरी 2011 से पेट्रोल के दामों में 2.60 रुपये की बढ़ोतरी हुई। इससे एक माह पहले, पेट्रोल के दामों में 3.00 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी। जून 2010 में सरकार द्वारा तेल कीमतों पर से नियंत्रण हटाने के बाद राज्य में चल रही तेल कम्पनियों तेल पंप पर तब से सात बार तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी की। सरकार का वह दावा कि कीमतों को बाजार के नियंत्रण में छोड़ने से कीमतें नियंत्रित रहेंगी, झूठा साबित हो गया। इसके अलावा, सरकार ने इस भावना को भी त्याग दिया कि कीमतों में बढ़ोतरी, पहले से खाद्य मुद्रास्फिति में लगातार बढ़ोतरी से बदहाल हो चुके घर के बजट को और अधिक बुरी तरह प्रभावित कर रही है।

इस तरह की बढ़ती कीमतों पर, अपने लाभ दर को अधिक ऊँचा करने के लिये तेल कंपनियाँ बड़े ही नर्म रवैये के साथ कहती है कि यह 'मूल्य समायोजन' है, जो कि आम आदमी को यह बहुत ही गहरा चोट पहुँचा रही है। दूसरी ओर सरकार का रवैया बड़ा ही अचंभित करता है कि वह इस तरह के मुनाफा देने वाली सार्वजनिक क्षेत्रों का विनिवेश कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नीति सार्वजनिक क्षेत्र के पूँजीपति घरानों को लाभ पहुँचाना है। लगातार मुद्रास्फीति की वृद्धि से सरकार के इस रवैये को तो उजागर करता ही है कि सरकार कीमतों को रोकने में असमर्थ है, बल्कि यह भी साफ है कि केन्द्र की आर्थिक नीति अमीरों और पूँजिपतियों के लिये है।

ऐसे नाजुक समय में जब आम आदमी को भारी महँगाई का बोझ झेलना पड़ रहा है, विश्व बैंक के प्रभावशाली अध्यक्ष रॉबर्ट जोलिक ने हाल ही के अपने नई दिल्ली के दौरे में यह व्याख्यान किया कि भारत अपने खुदरा क्षेत्रों को विदेशी कम्पनियों के लिये खोले। वैश्विक खुदरा राक्षस जैसे वॉलमार्ट, कैरेफोर, मेट्रो हमारे थोक बाजार के अलावा खुदरा बाजार में कदम रखने के लिये बेचैन हो रहे है। केन्द्र सरकार भी खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे हमारे लाखों मध्यमवर्गीय खुदरा व्यवसायियों पर बुरी तरह प्रभावित करेगा और इससे सामान्य खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्र सरकार की नीति जन-विरोधी है, और वह ऐसा विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एजेंटों के इशारे पर कर रही है। ऐसे नाजुक समय में यह जरूरी हो गया है कि विश्व बैंक के खिलाफ संयुक्त वाम आंदोलन का आयोजन किया जाये।

कांग्रेस नीत संप्रग-द्वितीय सरकार मुद्रास्फिति की दर और महँगाई को रोकने में पूरी तरह विफल हो गयी है, यह देश पर शासन करने का अधिकार खो चुकी है। हम मांग करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों को पुन: वापिस ले।

खाद्य सुरक्षा – अभी भी आम आदमी से दूर

संसद तथा संसद के बाहर व्यापक खाद्य सुरक्षा की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि सरकार ने संसद में इस संबंध में विधेयक लाने का वादा किया, लेकिन तब से अब तक कुछ नहीं किया गया। दूसरी ओर, खाद्य सुरक्षा मुद्दे को राष्ट्रीय सलाहकार समिति (नेशनल एडवाइजरी कांउसिल) के हवाले कर दिया गया, जिसका नेतृत्व सोनिया गाँधी कर रही है। तब से, यदाकदा ही प्रेस में इस प्रस्तावित मसौदे पर रिपोर्ट देखने को मिलती है और उसमें यही दिखाया जाता है कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। मीडिया के माध्यम से यह बहुत ही गंभीर मामला प्रकाश में आया है कि शासन में अनेक प्रभावशाली लोग इस बात से असहमत है कि देश में मौजूद गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या सीमांत गरीबों (एपीएल) के लिये खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की गारण्टी देने के लिये सरकार के पास पर्याप्त धनराशी नहीं है या देश में उतनी मात्रा में खाद्य अन्न उपलब्ध नहीं है। इस विधेयक के प्रारंभिक मसौदे में देश की 75 प्रतिशत जनता को सब्सिडी के साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सिफारिश की गयी थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 90 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के 50 प्रतिशत जनता को शामिल किया गया था। जो इस 75 प्रतिशत के श्रेणी में आते है उन्हें 'पारिवारिक वरीयता के आधार पर विभाजित किया गया है, पहला – वे जिन परिवारों का मासिक 35 किलो सब्सिडी अनाज (गेहूँ, चावल, मोटा अनाज) की आवश्यकता है तथा दूसरे वे जो सामान्य परिवार जिन्हें 20 किलो सब्सिडी अनाज की आवश्यकता है। और यह सब्सिडी प्राप्त गेहूँ, चावल और मोटा अनाज वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल के आधे दामों से कम कीमत पर उपलब्ध होगा।

यह बहुत ही तीव्र विरोधाभास जाहिर होता है कि प्रस्तावित मसौदे में कृषि सुधार, उपलब्ध उत्पाद वितरण का विकेन्द्रीकरण या कुपोषण आदि सम्बन्धित विषयों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमिकीकरण के प्रस्ताव पर कुछ प्रकाश नहीं डाला गया।

यहाँ तक सरकारी स्तर पर भ्रम व्याप्त है कि गरीबी रेखा के नीचे की जनता को कैसे पहचाना जाये। हाल ही में जारी जाति आधारित जनगणना तथा सभी दलितों और जनजातियों को शामिल कर लेने के बाद यह भ्रम

एकता से विभाजन तकः उपमहाद्वीप की एक दुःखद गाथा

(डॉ. श्रीमती अजीत जावेद, एसोसिएट प्रोफेसर, सतयवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय)

11 सितम्बर को पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मुहम्मद अली जिन्ना की बासठवीं निर्वाण (पुण्य) दिवस थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया। वर्ष 1937 में मुस्लिम लीग का नेतृत्व करते हुऐ जिन्ना ने लीग की तरफ से भारत की पूर्ण आजादी का लक्ष्य घोषित किया और विदेशी अधिपत्य के समापन के लिए किसी भी राजनैतिक दल के साथ कार्य करने में इच्छा जताई। परन्तु तीन वर्ष व्यतीत होने से पूर्व मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की मांग कर भारत के विभाजन का रास्ता सुझाया।

वर्ष 1937 में '1935 के एक्ट' के अधीन प्रांतीय चुनाव हुए थे। इस चुनाव के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस किसी समझौते पर कार्य नहीं कर सके और मुस्लिम लीग इस असफलता से बौखला गई थी। कांग्रेस को अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त हुई थी और सत्ता सुख के वितरण में उसने मुस्लिम लीग को दरकिनार कर दिया जबकि चुनाव पूर्व दोनों दलों में सत्ता सुख साथ लेने का वायदा हुआ था। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पंडित नेहरू ने घोषणा किया कि केवल दो ही दल (खेमें) हैं – अंग्रेजी सत्ता और कांग्रेस तथा बाकि सब कतारवद्ध होकर रहें। मुस्लिम के अध्यक्ष जिन्ना ने प्रत्युत्तर में कहा कि तीसरा दल (खेमा) भी है और मैं कतारवद्ध होने से इनकार करता हूँ। ब्रिटिश हुकूमत से एक साथ लड़ने के बजाय ये दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में लड़ने लगे और इनके झगड़े ने उपमहाद्वीप के विभाजन को मूर्त्त रूप दिया।

जिन्ना ने कांग्रेस को एक हिंदू पार्टी में चित्रित कर इनके नेताओं को हिंदू नेता कहते हुए आरोप लगाए कि वे स्वतंत्र भारत में हिन्दू राज स्थापित करने का षड्यन्त्र रच रहे हैं। यह स्वयं में एक विरोधाभास है कि उसी कांग्रेस का कभी वह स्वयं एक हिस्सा थ और उन्हें कांग्रेस होने पर नाज भी था। सुविख्यात कांग्रेसी नेता दादाभाई नौरोजी, जिन्होंने ब्रिटिश हाऊस ऑफ कामन्स के सीट के लिए चुनाव लड़ा और चुने भी गए। उस चुनाव में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जिन्ना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिन्ना दादाभाई की तरह होना चाहते थे और इंग्लैण्ड से भारत लौटने पर वर्ष 1904 में कांग्रेस में शामिल हो गए। जिन्ना ने वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया था, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग का गठन का विरोध किया था, वर्ष 1909 और 1910 में उठी अलग इलेक्टोरेट (मताधिकार) की मांग का विरोध किया था और स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए सीट आरक्षण का विरोध किया और होमरूल मूवमेंट का नेतृत्व किया और युद्ध में सहयोग देने के एवज में स्वराज की मांग किया। वर्ष 1909 में जिन्ना अपने राजनैतिक गुरू गोखले के साथ लंदन में छुट्टियाँ व्यतीत कर रहे थे। वहीं गोखले ने जिन्ना को मुस्लिम लीग से जुड़ने की बात कहा। जिन्ना का लक्ष्य था कि लीग को ब्रिटिश रूझान वाले तत्वों से बचाया जाए और कांग्रेस के नजदीक लाया जाए। वर्ष 1913 में लीग ने स्वराज प्राप्ति अपना लक्ष्य घोषित किया।

जिन्ना तिलक का बहुत आदर करते थे और उनके आग्रह पर 9 वर्षों तक बाहर रहने के बाद जिन्ना अपने पुराने राजनैतिक दल कांग्रेस में वापस लौटे और 15 दिसम्बर 1915 को बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस के मुखिया के रूप में जिन्ना ने संबोधित किया। **तिलक और जिन्ना ने एकजुट होकर योजनावद्ध तरीके से कार्य किया जिसके फलस्वरूप वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट के तहत एकजुट होकर अंग्रेजों से लोहा लेने का प्रण किया।** इस पूरे दौर में जिन्ना की मेहनत देखकर पंडित मदन मोहन मालवीय जो एक प्रतिवद्ध हिन्दू नेता थे, से नहीं रहा गया और उन्होंने जिन्ना की भूरि-भूरि प्रशंसा की। **जिन्ना की देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम और हिन्दू-मुस्लिम एकता के सार्थक प्रयासों पर मुग्ध होकर सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक व दूत कह डाला और प्रशंसा में कविताएं लिखी।** वर्ष 1918 जिन्ना की मूर्ति बाम्बे टाउन हॉल में कांग्रेस ने रखा और जिन्ना ने रविन्द्र नाथ टैगौर के साथ जलियाँवाला बाग कांड की तीखी भर्त्सना करते हुए उक्त घटना को जघन्य हत्याकाण्ड की संभा दिया और राउलैट बिल के विरोध स्वरूप जिन्ना ने सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव एसेम्बली की अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। जिन्ना कांग्रेस में मोतीलाल और सी.आर. दास के स्तर के शीर्ष नेता थे गाँधी के नेतृत्व और कार्यशैली में चलने वाले कांग्रेस के साथ जिन्ना अपने को असहज पाते थे। वे गाँधी के दर्शन और स्वराज पाने के तौर तरीकों का विरोध करते थे। **जिन्ना की मान्यता थी कि धर्म को राजनीति से जोड़ना उचित नहीं क्योंकि यह खतरनाक है और भारत को खण्डित कर देगी।** जिन्ना ने गाँधी से अनुरोध किया कि वे खिलाफत मसले को राष्ट्रीय एजेण्डे में न लाएँ, क्योंकि यह महज एक धार्मिक मसला है जिसका भारतीय 'स्वराज' से कुछ लेना देना नहीं है। अन्तत: जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस छोड़ दिया। फिर भी जिन्ना एक राष्ट्रवादी और धर्म निरपेक्ष चरित्र पर कायम थे और ब्रिटिश अधिकारियों से किसी भी तरह की सुविधा या लाभ लेने के हर अवसर को ठुकराते रहे। वह स्वयं को पहले भारतीय और बाद में मुसलमान मानते थे। तथा मात्र अपने मुस्लिम समुदाय के लिए कार्य करने से इंकार कर दिया था। वर्ष 1923 में एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र का संगठन बनाया जिसका नाम इंडिपेंडेंट पार्टी रखा। केन्द्रीय समिति भिन्न-भिन्न धर्मों के लोगों को रखा था। जिन्ना ने स्वराज पार्टी के साथ सहयोग पूर्ण रवैया अपनाया और दोनों के संयुक्त होने से सदन में सरकार को मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। जिन्ना कांग्रेस में लौट आने के विरुद्ध अभी भी नहीं थे, उन्हें गाँधी के थोपे गए नियमों से परहेज था कि कांग्रेस के सदस्य को चरखा चलाकर सूत काटना होगा और खादी को वस्त्र के रूप में अपनाना होगा।

असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद दोनों समुदायों के बीच खाई गहरी होने लगी और साम्प्रदायिकता प्रमुख मुद्दा बनने लगा। दोनों सम्प्रदायों के कट्टरवादी धर्मांधों की जिन्ना ने जमकर आलोचना की और लगातार दोनों सम्प्रदायों में एकता बनाए रखने की कोशिश को जारी रखा। वे दोनों सम्प्रदायों के लिए संयुक्त मताधिकार चाहते थे और उनका मुस्लिम समुदाय से लगातार आग्रह था कि वे लोग मताधिकार के अपने विशोषाधिकार को त्याग दें और बदले में अपनी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष अधिकार ले लें। वर्ष 1927 में कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जबकि नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में सुयंक्त मताधिकार को शामिल किया गया था परन्तु मुस्लिम समुदाय की विशेष सुरक्षा के तथ्य रिपोर्ट में नहीं थे जिस बारे में शुरू में कांग्रेस ने हामी भरी थी। मुस्लिम लीग में कट्टरपंथी नेताओं ने विरोध किया और अलग मताधिकार के विशेषाधिकार को किसी भी कीमत पर खोने को तैयार नहीं थे तथा साथ ही किन्हीं अन्य बिन्दुओं पर भी किसी भी तरह के कांग्रेस से समझौते के खिलाफ हो गए। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी जिन्ना कांग्रेस के साथ एकता की वकालत करते रहे और इस दबाव में मुस्लिम लीग टूट गई। लीग की एकता में दरार आने से और जिन्ना के प्रयास विफल पड़ने से उनके नेतृत्व क्षमता पर लीग के सदस्य प्रश्न उठाने और हँसने का काम करने लगे। वे आहत हुए, अपमानित हुए परन्तु फिर भी उम्मीद पर कायम रहे।

लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोल मेज सभा में जिन्ना ने दोनों संगठनों में एकता के अपने प्रयास पुन: किये परन्तु इस बार भी वे विफल हुये उन्होंने भारत से वर्मा के अलगाव का विरोध किया और उन्होंने रहमत अली के तैयार किये गये पाकिस्तान निर्माण के कार्यक्रम को अस्वीकार किया और रहमत अली को दो टूक जवाब भी दिये। संयुक्त भारत जिन्ना का स्वप्न था और यही कारण था कि वे इस दिशा में लगातार कार्यरत थे। वे चाहते थे कि दलितों की समस्या पर डॉ. अम्बेडकर के साथ जिस रूचि के साथ कांग्रेस ने समझौता किया कुछ वैसा ही उनके साथ भी करे। **वर्ष 1937 से 1939 तक जिन्ना ने एक बाद एक कई पत्र गाँधी को लिखे क्योंकि वे सांप्रदायिक मुद्दों को हल करना चाहते थे, परन्तु गाँधी ने उन पत्रों की अवहेलना की।** जिन्ना मिल रही लगातार विफलता कट्टर पंथियों को मजबूत कर रही थी और वे अलगाव चाहते थे न कि कांग्रेस के साथ समझौता। वर्ष 1938 और 1939 में विभाजन का प्रस्ताव लाने वालों को जिन्ना ने रोकने का प्रयास किया था जनवरी 1940 में जिन्ना ने कांग्रेस को समझाने का एक और प्रयास किया कि उन्हें मुस्लिम समाज का एकमात्र प्रवक्ता स्वीकार कर लिया जाये। जिन्ना ने अपने पत्रकार मित्र दुर्गादास से कहा था कि मैं यही इतना चाहता हूँ। जिन्ना ने पुन: आपत्ति जताई जब वर्ष 1940 के मार्च माह में रामगढ़ में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक सत्र में मौलाना आजाद को कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित किया गया और कांग्रेस के द्वारा दुनिया को यह दिखाया गया कि मुसलमानों के एकमात्र प्रवक्ता नहीं है।

लाहौर में 1940 में प्रस्तावित पाकिस्तान की मांग सम्बन्धित प्रस्ताव जिन्ना द्वारा तैयार नहीं किया गया था। प्रस्ताव को लीग के कई वरिष्ट नेताओं

ने छुपाकर रखा था और गोपनीय तरीके से यह कहते हुये इसे उजागर किया कि यह मांग महज कांग्रेस को बातचित तथा समझौता करने के लिये दबाव निर्मित करना है। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव की जानकारी होने के बाद इसे गम्भीरता से नहीं लिया और कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में गैर जिम्मेदाराना उल्लेख किया कि हम किसी अनिच्छुक भाग को भारतीय संघ में रहने को बाध्य नहीं करेंगे।

लीग और कांग्रेस के बीच चल रही समस्या सुलझ नहीं सकी अभी भी जिन्ना पाकिस्तान के बारे में गम्भीर नहीं थे और यहाँ तक कि वर्ष 1946 तक उन्होंने इस संदर्भ में कुछ भी किया था। कैबिनेट मिशन के सदस्यों जिन्होंने जिन्ना और लीग के अन्य महत्त्वपूर्ण नेताओं का साक्षात्कार लिया था, ने स्पष्ट कहा था कि इन सबके विचार एक जैसे ही है। अधिकारिक तौर पर जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को वापस ले लिया था और संयुक्त भारत के लिये कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार कर लिया था। शुरू में कांग्रेस कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार कर लिया था परन्तु जब पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने प्रेस को अपने दिये प्रथम साक्षात्कार में बयान दिया कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन की योजना को मानने के लिये बाध्य नहीं है और इस तरह संयुक्त भारत के भाग्य का दरवाजा हमेशा के लिये बन्द कर दिया। जिन्ना के लिये तो पाकिस्तान एक सौदेबाजी का मुद्दा था। द्वितीय विश्वयुद्ध दिनों में बम्बई में मालाबार हिल्स स्थित जिन्ना के घर में पुर्निर्माण का कार्य चल रहा था। जिन्ना के व्यक्तिगत कागजात यह जाहिर करते हैं कि 1947 के प्रारम्भिक दिनों में जिन्ना बम्बई और शिमला में जायदाद खरीदने की बात सोच रहे थे। उनकी पत्नी की मजार भारत में थी और उनकी इकलौती बेटी 'दीना' ने उनके साथ जाने से इंकार कर दिया। माउंट बेटन फैसले के द्वारा पाकिस्तान बनने की मांग स्वीकार कर लेने के बाद जिन्ना बहुत दु:खी थे।

जिन्ना माउंट बेटन से घृणा करते थे और भारत तथा पाकिस्तान दोनों के गवर्नर जनरल माउंट बेटन रहेंगे, यह उन्हें स्वीकार नहीं था। वे स्वयं पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने और नये देश का निर्माण अपने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के आदर्श सिद्धांतों के आधार पर करने का प्रयास किया। जिन्ना ने पाकिस्तान के राष्ट्रगान को लिखने के लिये एक हिन्दु को नियुक्त और पाकिस्तान के संविधान सभा को संबोधित करने के लिये जोगेन्द्रनाथ मंडल को नियुक्त किया, जो जिन्ना के मंत्रिमंडल में प्रथम कानून मंत्री भी बने। जिन्ना ने कराची के डेलीगजट के संपादक एम.एस.एम. शर्मा को अपने पत्र के प्रकाशन को जारी रखने को कहा उन्होंने अपने पूँजीपति मित्र जिनका कारोबार कराची में था को वहीं रूकने के लिये और अपना व्यवसाय जारी रखने का आग्रह किया। जिन्ना ने पाकिस्तान के हिन्दुओं और सिक्खों को आश्वस्त करते हुये कहा कि पाकिस्तान एक सैद्धान्तिक राज्य (धार्मिक) नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों को भी पाकिस्तान के संचालन में उचित महत्त्व और भाग दिया जायेगा। 11 अगस्त, 1947 को संविधान सभा के उद्‍घाटन सत्र को संबोधित करते हुये जिन्ना ने स्वयं दो राज्यों के सिद्धान्त को इंकार कर दिया था। उन्होंने कहा : आप अपने मंदिरों में जाने के लिये आजाद है, आप अपने मस्जिद में जाने के लिये आजाद है या पाकिस्तान में स्थित किसी भी अपने धार्मिक स्थल पर जाने के लिये मुक्त है। आप किसी भी धर्म या जाति या सम्प्रदाय से संबद्ध हो हमें उससे कुछ भी नहीं लेना देना क्योंकि मूल सिद्धान्त यह है कि हम सभी नागरिक है और एक राज्य के एक समान वरीयता प्राप्त नागरिक है।

जिन्ना द्वारा पाकिस्तान के संविधान के लिये इस तरीके के दिशा निर्देशों को घोषित करने के बाद कट्‍टरपंथियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। कट्‍टरपंथी पाकिस्तान को एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहते थे। भारत के अंदर जिन्ना को इन कट्‍टरपंथियों ने तो बर्दाश्त किया था, एवं मुस्लिम लीग की बैठकों में अत्याधुनिक लिबास में उनकी पत्नी को बैठने की अनुमति मिल जाती थी, और लीग के सत्र के दौरान नमाज अदा करने के समय जब जिन्ना साथ नहीं जाते थे तथा इस्लामिक सिद्धांतों के विपरित आधुनिक जीवन जीते थे तब भी उन कट्‍टरपंथियों ने अनदेखा किया था। परन्तु पाकिस्तान के भीतर जिन्ना को मिली यह आजादी जाती रही। पाकिस्तान के निर्माण के दौरान उसे एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मुल्क बनाने संबंधित जिन्ना के संबोधनों में से बहुत से भाग प्रकाशित भी नहीं किये गये।

कट्‍टरपंथी तत्वों से परेशान जिन्ना अपनी परिस्थिति को मजबूत करने के लिये पूर्व कांग्रेसी जैसे अब्दुल गफ्फार खॉ और खालिकुजामाम से संपर्क किया और सहयोग मांगा। 15 दिसम्बर 1947 को जिन्ना ने एक तूफानी प्रयास किया की असंप्रदायिक संगठन में परिवर्तित कर दिया जाये परन्तु असफल रहे। अब जिन्ना को हर मोड़ पर बाधायें मिलने लगी, उनके निर्णय रोके जाने लगे और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के उनके अधिकार चले गये। **कभी कांग्रेस के भीतर अपमान, चोट और निराशा ने उन्हें कांग्रेस छोड़ने को बाध्य किया था, कांग्रेस में कभी पुन: जाने का निर्णय लिया था, परन्तु अब अपने ही द्वारा निर्मित राज्य पाकिस्तान में वहाँ के नेताओं के द्वारा ऐसा ही व्यवहार उनके साथ होने लगा।** भारत के मुसलमानों के द्वारा जिन्ना को खूब कोसा गया और वहीं पाकिस्तान में भारत से आये मुस्लिम शरणार्थियों ने भी जिन्ना को भला-बुरा कहना शुरू किया क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में घोर मुसीबतों और दु:ख के दिन देखने पड़ रहे थे। उन्होंने जिन्ना के पुतले जलाये, उनके खिलाफ प्रदर्शन किये और यहाँ तक जिन्ना को जान से मारने के प्रयास किये। वहाँ के कट्‍टरपंथी, धर्मांध तत्व बने इस नये राज्य को धार्मिक राज्य बनने में जिन्ना के रूप में एक बहुत बड़ी बाधा मानते थे।

पाकिस्तान में जिन्ना बीमार, दु:खी और खिन्न थे। पाकिस्तान में अपने मित्रों की सुरक्षा की गारण्टी भी जिन्ना नहीं ले सके। जोगेन्द्र नाथ मंडल कराची से प्रकाशित डेली गजट के संपादक एम.एस.एम. शर्मा और अपने उद्योगपति मित्र डालमिया को पाकिस्मान छोड़ना पड़ा। जिन्ना स्वयं भारत वापस आना चाहते थे, ऐसा उन्होंने पाकिस्तान में भारत के द्वारा नियुक्त उच्चायुक्त श्रीप्रकाश से कहा भी था। धर्मांधपूर्ण माहौल में जिन्ना का दम घुट

रहा था, उनके उदारवादी विचार और उत्साह दम तोड़ रहे थे और 11 सितम्बर 1948 को जिन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कहा। कट्टरपंथी लोगों ने उनके मरने से राहत महसूस की। जमाते इस्लामी के नेता मौलाना मौदुदी ने जिन्ना के मरने के बाद की जाने वाली सुन्नत (अंतिम नमाज) का नेतृत्व करने से इंकार कर दिया था तथा अपनी खुशी का इजहार करते हुये धन्यवाद देने संबंधित नमाज अदा किया और इस दिन को आनंद का दिन घोषित किया।

अपने ही द्वारा निर्मित राज्य में जिन्ना दु:खी थे। विभाजन स्वीकार कर लेने के बाद इस निर्णय से आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू और पटेल ने पछतावा जाहिर किया था। गाँधी ने अपना जीवन ही खो दिया। **परन्तु अपने ही लोगों में विभाजन की दीवार खड़ी करके इन लोगों ने खुबसूरत राजकुमार माउंट बेटन की खूब मदद की और उसे सफल बनाया तथा माउंट बेटन ने विभाजन की सीमा रेखायें खींची और इन दोनों राज्यों में ब्रिटिश हितों के उज्जवल भविष्य को बरकरार रखने में सफलता प्राप्त की।** उपमहाद्वीप से खुशी–खुशी माउंट बेटन लौटा यह हमारे नेताओं का दुर्भाग्य रहा तथा साथ ही उपमहाद्वीप का।

हिन्दी अनुवाद - प्रभाशंकर मिश्र, राष्ट्रीय सह-संयोजक जन संग्राम मोर्चा (जन संगठन)।

विशेष अधिकारों को समाप्त कर तथा असली मेहनतकशों को शासन का अधिकार मिले:

(स्वामी विवेकानन्द के 150वें जन्मदिन पर विशेष)

स्वामी विवेकानन्द को उनके मठवासी जीवन में नरेन्द्र नाथ दत्ता के रूप में भी जाना जाता है। 12 जनवरी 2011 को उनकी 150वीं वर्षगांठ थी। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 जनवरी को कोलकाता के संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता, एवं माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके कई विषयों में प्रांगण वकील थे। उनकी माता भक्ति में डूबी भाव, दृढ़ विचारों की और अन्य गुणों से परिपूर्ण थी। असमायिक नौजवान विवेकानन्द संगीत, जिमनास्टिक और पढ़ाई में तेज थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने के पश्चात् उन्होंने कई विषयों में ज्ञान प्राप्त किया, विशेषकर पश्चिमी दर्शन और इतिहास पर। उनका जन्म से ही योगी विचार था, वे अपने लड़कपन में ही ध्यान योग किया करते थे, और कुछ समय तो वे ब्रह्मो क्रिया भी किया करते थे।

विवेकानन्द ने वेदान्तवाद की दार्शनिक भावना के साथ धर्म को इसके लिएए एक जरिये के रूप में देखा। देश की दूसरी जगहों पर, राजनीतिक संगठनों और व्यक्ति, समाज सुधारक एवं क्रांतिकारी भी अपनी राजनीतिक अपील और सामाजिक कार्यक्रम के साथ आगे आ रहे थे। इस मामले में यह सुनहरा दौर था। विवेकानंद कोई राजनीतिक नेता नहीं थे, और उन्होंने कभी भी कोई 'राजनीतिक कार्यक्रम' पेश नहीं किया और न ही सच्चे अर्थ में समाज सुधार का कोई कार्यक्रम सामने रखा। लेकिन तो भी जो भी कहा और जो शिक्षा दी उसका राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पर गहरा व स्थायी प्रभाव पड़ा और इस बात में उनका विशेष महत्त्व निहित है।

वह एक सन्यासी थे जिन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, "न्यूनतम विरोध के नियम के तहत ही काम किया जा सकता है, और यह धार्मिक लाईन न्यूनतम प्रतिरोध की लाईन है।"

स्वामी विवेकानन्द ने धर्म को मार्गदर्शक दर्शनशास्त्र. के रूप में देखा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। धर्म ने दर्शनशास्त्र का स्थान ले लिया था और इतिहास में कई असवरों पर, खासकर तब जब कोई स्पष्ट सामाजिक–राजनीतिक विचारधारा का उदय नहीं हुआ था अथवा उसने जनता पर अपनी पकड़ नहीं बनायी थी, धर्म ने उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष का परचम फहराया है। बेशक, प्रतिक्रियावादी और शोषणकारी वर्गों ने भी अपने मकसदों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जनता को बरगलाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया था।

वह देश में उस समय की वर्तमान स्थिति के प्रति पूरी तरह सजग थे। अपनी जनता की घोर दरिद्रता और अज्ञानता ने उन्हें हिला कर रख दिया था। वह शोषक वर्गों के विशेष अधिकारों के विरुद्ध डटकर खड़े हुए। उन्होंने इन विशेष अधिकारों को समाप्त करने तथा असली मेहनतकशों को शासन का अधिकार देने और अपनी नियति का निर्धारण करने का अधिकार देने का आह्वान किया।

स्वामी विवेकानन्द उन सभी के हैं जो नये भारत का सपना देखते हैं जो मेहनतकशों का, सहिष्णुता के साथ जीने वाले अति सुसंस्कृत लोगों का, सभी तरह के रूढ़िवाद और धर्मान्धता से मुक्त, गतिवार और विश्व की और उन्मुख लोगों का देश हो।

"मैंने पूरे मन से आपको देश का नेता स्वीकार किया है" - रवीन्द्रनाथ टैगोर

(21 जनवरी 1939 में शांति निकेतन में आम्रकुञ्ज स्थल पर आयोजित एक सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में सुभाष चन्द्र बोस का स्वागत करते हुए रवीन्द्रनाथ टैगोर का भाषण:)

प्रिय सुभाषचन्द्र,

जो आज हम कहने जा रहे हैं, वह हमारे ऋषि–मुनि सदियों से कहते आ रहे हैं। स्वागत के जो शब्द आप सुन रहे हैं। वही शब्द उन्होंने आने वाले उन

लोगों के लिये कहे थे – जिनका विश्व इंतजार करता है। वे शब्द कभी पुराने नहीं पड़ेंगे। आपका जो जगह-जगह स्वागत हुआ है; देशवासियों ने जो आपको सम्मानजनक पद सौंपा है, उस पद का अर्थ उनके वेद-वाक्यों में सन्निहित है। उनके संदेश ने आपको इस सम्मानजनक स्थान पर ला खड़ा किया है। मेरे इस वाक्य से आप हैरान हुए होंगे। आप कह रहे होंगे कि मैं तो आपको जनता हूँ। ठीक है, किंतु वह पूर्ण सत्य नहीं है – क्योंकि मुझे जानने में देश में कई अड़चने हैं। बंगाल मुझे आधा ही जान पाया है। अभी तक मुझे अंग्रेजों का नौकर ही माना जाता है। बस यही मेरा परिचय बनकर रह गया है। यह जानने में विलंब हो रहा है कि मेरे देश ने मुझे किसी और उद्देश्य से आमंत्रित किया है, उसे मानने से मस्तिष्क झिझक सकता है। मैं किसी को दोष नहीं देता। हमारे कवि कालिदास ने कहा है कि शब्द और अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं। शब्द और अर्थ एक-दूसरे से संबंधित हैं। इस प्रकार मैंने कला की देवी के चरणों में बैठकर अर्थ खोजा है। आप एक अरसे से मुझे देख रहे हैं। आपको कुछ प्रसन्नता भी हुई होगी। समय-समय पर आपको कष्ट भी हुआ होगा। लेकिन अर्थ की खोज, वह स्वयं खोज नहीं है। उसे तो त्याग देना चाहिए – आपको यह जान लेना चाहिए। उस अर्थ की खोज का मैं भक्त हूँ, अन्यथा आप पूर्णता में मुझे समझ नहीं पाएंगे।

यदि आप अभिव्यक्ति और मूल-तत्व को मिलाकर देखें, तो आप समझ पाएंगे कि मेरे अंदर की एकता भले के लिए है। यह मेरा सौभाग्य ही है कि कभी-कभी शब्द और अर्थ की पुकार मुझे एक साथ आंदालित करती है। युवावस्था में मैं इस पुकार को सुन सकने के कारण ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद मैं साधना में उतर गया, जिसका लोगों को आभास तक नहीं हुआ। किसी को उसे देखने की आवश्यकता नहीं थी, अत: उन्होंने देखा भी नहीं। वे देखने में असफल रहे, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपरी दर्शन किए। मैं देखने में अस्पष्ट लगता हूँ। मैं मूल-तत्व का अन्वेषी हूँ। उस कार्य में मेरी सफलता आप लोगों तक पहुँच चुकी है – किंतु यदि आप आकर निरीक्षण करेंगे, तो देखेंगे कि यह कार्यक्षेत्र मेरा अपना है। आप अपनी भलमनसाहत की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे, बल्कि आपको पूरे विश्व का अनुभव है। आपने देखा है – यूरोप में आपने देखा कि किस प्रकार खोजी लोग मूलतत्व की खोज में साधनारत हैं। आपने देखा है कि कार्य और बलिदान के जरिये किस तरह उन्होंने विकास किया है। विभिन्न दृष्टियों के जरिये उन्होंने जीवन को क्या-क्या दिया है। इन सबके मध्य ही व्यक्ति की मानवता की पहचान है। वही जागरूकता यदि यहाँ भी पैदा हो जाए – यदि आप लोग भी बलिदान व प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर सकें – तो आपको प्रसन्नता ही होगी। मैं आपको गौरव के साथ वह जागरूकता प्रदान करना चाहता हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप देश के नेता के रूप में पधारे हैं और देश ने आपको स्वीकृति प्रदान की है। आपको यह जानना होगा कि देश के लिये किस प्रकार की साधना यहाँ हो रही है; उसे आपको पहचान देनी होगी, स्वीकार करना होगा, यदि आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो कार्य की पूर्णता का अनुभव होगा। यहाँ कई कमियां भी हैं। मैंने काफी-कुछ सहा है। मेरा दु:ख असीम है। 40 वर्षों तक मैंने बहत कष्ट के साथ, दु:ख के साथ, गरीबी में, उधार में दबकर कार्य किया है। बहुत-सी बदनामी, अपशब्द व घोर निराशा सही है। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने आपको अपने कार्यक्षेत्र में आमंत्रित किया है। किसी और कारण से नहीं, बल्कि आपको अपने से परिचित कराने के लिए ही।

मैंने पूरे मन से आपको देश का नेता स्वीकार किया है। अपनी इस भावना को मैं जनता के सम्मुख कहना चाहता हूँ। आप बंगाली राष्ट्र के नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। बाकी देश के विषय में मैं कुछ नहीं जातना। अपनी इच्छा मैं उन पर लाद नहीं सकता। मैं बंगाली हूँ, बंगाल को जनता हूँ। बंगालियों की आवश्यकता अत्यधिक है। इसलिए यदि मैं इस उद्देश्य के लिए आपका आह्वान करता हूँ तो आपको इसका उत्तर देना होगा। मैं आपको राष्ट्रीय-हित के लिए कलकत्ता में 3 फरवरी को आमंत्रित करता हूँ। यहाँ आप हमारे मित्र के रूप मे आए हैं। यदि हमारी परिस्थितियों को देखकर आप हमारे कष्ट दूर कर सकते हैं, तो कृपया कीजिए। मैं समय निकाल लूंगा। आप समय-समय पर यहाँ आते रहें। आज मैं अतिप्रसन्न हूँ कि आज आपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के बाझे से दबे होने के बावजूद हमारे साथ कुद समय बिताना स्वीकार किया।

यहाँ मैंने उन लोगों का सम्मान करने की व्यवस्था की है, जिन्हें देश में तिरस्कृत किया गया। विद्यार्थी, जो बेकार शिक्षा पद्धति के शिकार बने- वे व्यक्ति, जिन्हें कई प्रकार की गुलामी सहनी पड़ी- उन्हें शांति उपलब्ध नहीं हुई, तथा सौंदर्य व स्वतंत्रता से दूर रखा गया और दिया कुछ नहीं गया, बस केवल पाठ याद कराए जाते रहे। उस प्रसन्नता की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि आप स्वयं जेल में रह कर कष्ट का अनुभव कर चुके हैं। हमारे सब बच्चे वैसी ही जेल भुगत रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वह कितना कष्टकारी और दुखदायक है। जिस समय बच्चों का मस्तिष्क प्रकृति से जुड़ा होना चाहिए, जिस समय उन्हें प्रसन्नता में डूबे रहना चाहिए, पेड़-पौधों में खेलना-कूदना चाहिए, पशु पक्षियों के साथ खेलना चाहिए, उस समय उनसे चक्की चलवाई जा रही है। हमने देखा है कि उन्हें कैसी शिक्षा प्रदान की जा रही है। हम तोतों का गुट तैयार कर रहे हैं – बोलने वाले पक्षियों का। वे पक्षी पिंजरे में कैद हैं, जिन्होंने कुछ विदेशी वास्यांश याद कर लिए है। मैं हार गया हूँ। मैं जो पाना चाहता था, उसमें मैं असफल हुआ या सफल – पता नहीं, लेकिन मैं उन्हें प्रसन्नता और आजादी का स्वाद चखाना चाहता था। इस वातावरण में जो प्रसन्नता लड़के-लड़कियों को मिल रही है, वह उनका अधिकार है। आखिर इसीलिए तो वे पैदा हुए हैं। फूल क्यों खिलते हैं ?दिन खत्म होने पर पक्षी क्यों चहचहाते हैं ?क्या उन्हें अपना खूबसूरत समय कक्षाओं में बैठकर रेखांकित पदों को याद करने में ही व्यर्थ गंवाना होगा ?यदि व्यक्ति को सौंदर्य के आनंद से वंचित रखा जाए, तो यह उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए मैंने यह सब शुरू किया। मैं हार गया, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कब तक बोझ उठा सकता है, मैंने हर प्रकार का कष्ट उठाया है। मैं यह नहीं कह सकता कि कोई उपलब्धि नहीं है, किंतु मेरी संतुष्टि के लायक नहीं।

दूसरे स्थानों व देशों के लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। वे केवल प्रशंसा करके ही नहीं रह गए, बल्कि उन्होंने इसकी नकल भी की है। आपने ये

देखा होगा। उन्होंने यह समझ लिया है कि शिक्षा और जीवन का आपस में घनिष्ट संबंध है। जो शिक्षा को जीवन से अलग कर देते है, से इसका दम घोंट देते हैं। वे मानव-मस्तिष्क को टुकड़े-टुकड़े करके बचाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ मैंने शिक्षा को जीवन से जोड़ा है - प्रसन्नता, आह्लाद, कला और हर चीज से जोड़ा है। मैंने स्वतंत्रता और प्रसन्नता का स्वाग चखाने का प्रयत्न किया है। इसमें नवीनता है। देशवासी मुझसे पूछते हैं कि मेरा पाठ्यक्रम क्या है ? कौन-कौन सी पुस्तकें आप पढ़ते-पढ़ाते हैं ? आपके पास भवन कितने हैं ? लोग सरस्वती को खींच-खींच कर कारागार में डालना चाहते हैं। वह सब यहाँ देखने को नहीं मिलता, तो वे दु:खी होते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे राष्ट्र के पास जो खजाना और साधना है, उसे उन्होंने पूरी तरह रिक्त कर दिया है। जो कार्य मैंने शुरू किया, वह पूर्ण नहीं हो पाया है। यह किसी आयोग का ऐच्छिक कार्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ने में मैं असफल रहा हूँ। वह मेरी शक्ति से बाहर की ची है। यदि आप राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मेरे कार्य को स्वीकृति देंगे और अपनाएंगे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

कोलकाता में अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय सचिव मंडल की बैठक

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय सचिव मंडल की बैठक 28 दिसम्बर 2010 को कोलकाता में हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के वयोवृद्ध नेता साथी अशोक घोष ने की। बैठक में देश की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों विशेषकर पश्चिम बंगाल की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया।

पश्चिम बंगाल में माओवादियों द्वारा 16 दिसम्बर 2010 को ग्राम पंचायत महिला समेत फारवर्ड ब्लॉक के 7 कार्यकर्ताओं की हत्या पर रिपोर्ट बनाई गयी। सचिव मंडल ने इस घटना की घोर निंदा की और कहा कि पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस (आई) सत्ता अपने घृणित राजनीति फायदे के लिये माओवादियों को सहयोग कर रहे हैं। सचिव मंडल की बैठक में शहीदों की याद में दो मिनट का मौन रखा गया। बैठक में वयोवृद्ध समाजवादी नेता श्री सुरेन्द्र मोहन जी को भी श्रद्धांजलि दी गई।

अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति, ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेन्टर, ऑल इण्डिया यूथ लीग और ऑल इण्डिया स्टुडेण्ट्स ब्लॉक की सफलतापूर्वक संपन्न राष्ट्रीय सम्मेलनों की रिपोर्ट पेश की गई।

निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की रिपोर्ट पेश की गई तथा चर्चा हुई:

स मैडम आंग सान सू की कि रिहाई।

स अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा, फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सारकोजी, चीन के प्रधानमंत्री वेन जिआबाओ और रूसी प्रधानमंत्री मेदेवदेव की भारत यात्रा।

स अमेरिका की कुख्यात कुटनीति से संबंधित विक्लीक्स की रिपोर्ट।

स एशियन पॉलिटिकल पार्टियों की छठवीं अंतर्राष्ट्रीय जनरल असेम्बली

यह प्रस्ताव किया गया कि अमेरिका की साम्राज्यवादी रवैये और संप्रग-द्वितीय सरकार की अमेरिकी परस्त नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया जायेगा। विक्लीक्स के खुलासे से विकासशील और अविकसित देशों के प्रति अमेरिका के कुख्यात रवैये और दोहरी नीति का पुन: खुलासा हुआ है। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक सरकार से आग्रह करती है कि म्यांमार की सैनिक जुंटा सरकार से नजिदिकीयां न बढ़ायें और म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिये उचित कदम उठाये।

निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये:

1. **माओवादी खतरा:** आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये माओवादियों द्वारा उठाये गये सामाजिक-आर्थिक मुद्दों का अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक सहानुभूति रखता है तथा इसके लिये देश की मुख्यधारा में आकर संघर्ष करने का आह्वान करता है। लेकिन धीरे-धीरे ये आन्दोलन राजनीतिक बन गया जो लोकतांत्रिक पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार को अस्थिर करने के प्रयास में दक्षिणपंथी ताकतों के अलोकतांत्रिक तरीकों व उनके घृणित इरादों को लाभ पहुँचा रहे है। यह पूरी तरह सिद्ध हो चुका है कि पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस का माओवादियों से सीधा संपर्क है एवं दूसरी ओर वे तृणमूल कांग्रेस के लिये औजार की तरह कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस(आई), केन्द्र की सत्ताधारी सरकार तृणमूल कांग्रेस को इस कार्य के लिये पूरा मदद दे रही है। केन्द्र की सत्ता को बचाये रखने के लिये वामपंथी सरकार के विरूद्ध तृणमूल कांग्रेस के सभी झूठे अरोपों का सरकार पूरा-पूरा समर्थन कर रही है।
2. **आन्दोलनात्मक कार्यक्रम:** पार्टी की सभी नीचली इकाईयों से अनुरोध है कि तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस (आई), माओवादी और दक्षिणपंथी ताकतों के घृणित चेहरों के खुलासे के लिये आन्दोलन का आयोजन करें। सभी से अनुरोध है कि इस संदर्भ में जनसभा, सेमिनार, वाद-विवाद आदि का आयोजन करें तथा चरमपंथी वाम ताकतों द्वारा की जा रही हत्याओं का विरोध करें।

जन संगठनों का सम्मेलन

अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति : अग्रगामी महिला समिति का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कोलकाता में 4, 5 व 6 दिसम्बर 2010 को कोलकाता में

हुआ। जिसमें एक नई सांगठनिक कमिटी का निर्वाचन किया गया, जिसमें साथी अपराजिता गोप्पी अध्यक्षा एवं साथी पुर्णिमा बिश्वास को सांगठनिक सचिव निर्वाचन हुआ।

टी.यू.सी.सी. : टी.यू.सी.सी. का 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन भोपाल, मध्य प्रदेश में 11, 12 व 13 दिसम्बर 2010 को संपन्न हुआ। एक नई कमिटी निर्वाचित की गयी, जिसमें साथी जी.आर. शिवशंकर अध्यक्ष व साथी एस.पी. तिवारी महासचिव निर्वाचित किये गये।

ऑल इण्डिया यूथ लीग : ऑल इण्डिया यूथ लीग का 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन धनबाद, झारखण्ड में 19, 20 व 21 दिसम्बर 2010 को संपन्न हुआ। एक नई कमिटी निर्वाचित की गयी, जिसमें साथी संजय भट्टाचार्य अध्यक्ष व साथी अली इमरान रम्ज, विधायक महासचिव निर्वाचित किये गये।

ऑल इण्डिया स्टुडेण्ट्स ब्लॉक : ऑल इण्डिया स्टुडेण्ट्स का का 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन कानपुर, उत्तर प्रदेश में 24, 25 व 26 दिसम्बर 2010 को संपन्न हुआ। साथी अमरेश कुमार की अगुवाई में एक नई सांगठनिक कमिटी निर्वाचित की गयी।

ईंधन की कीमतों में अनुचित वृद्धि के कारण आवश्यक वस्तुओं के दामों में और अधिक वृद्धि होगी

कांग्रेस (आई) नीत संप्रग द्वितीय सरकार जब से आई है तब से महँगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सरकार जनता के बढ़ते आक्रोश को शांत करने के लिये बड़े ही कुत्सित और झूठ का सहारा लेकर गलत आंकड़ें पेस करती रहती है वह बार-बार थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के गलत आंकड़े पेश करके गुमराह करती रहती हैं प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और महँगाई तीन या 4 सप्ताह में कम हो जायेंगी। यह अधिकारिक आंकड़ें इस बात से इंकार नहीं कर सकती है खाद्य मुद्रास्फीति नवम्बर में 7.48 प्रतिशत थी और यही दिसम्बर में बढ़कर 8.58 प्रतिशत हो गयी। दिसम्बर के दूसरे सप्ताह तक यह 8.69 था जबकि दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह तक यह आंकड़ा 9.46 तक पहुँच गया। आंकड़ें जो भी हो बढ़ती महँगाई के कारण खाद्य वस्तुएं आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही है। चार सप्ताह पहले सब्जी की कीमतों में एक नया मोड़ आया और सबसे अधिक प्याज की कीमतों में जो खुदरा बाजार में 80 रुपये किलो से भी अधिक दामों पर बिका। कुछ ही दिन पहले जबकि दिल्ली व अन्य कुछ शहरों में यह 35-40 रुपये किलो तक था। एफ.ए.ओ.-ओ.इ.सीडी एग्रीकल्चर आउटलुक 2010-11 के अनुसार, 2008 में बढ़ती महँगाई पर नजर डाले तो भारत उन कुछ देशों में से है जहाँ खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति 2009 तक दोहरे अंकों में पहुँच जायेगा। (चीन में यद्यपि 2008 की तुलना में 2009 में 1 प्रतिशत से भी कम मूल्य वृद्धि हुई है)।

आर्थिक कुप्रबंधन, जमाखोरी, नीति निर्धारकों और मंत्रालयों के मध्य समन्वय की कमी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करना, भारतीय कृषि को अनदेखा करना, कृषि मुक्त व्यापार समझौतों पर ज्यादा ध्यान, कृषि उत्पादों के लिये सुविधाओं की कमी आदि के कारण महँगाई बढ़ती जा रही है। यह प्रमाण हो चुका है कि उच्च दाम पर वस्तुओं का आयात, जिनका हमने स्वयं ही बड़ी मात्रा में उत्पाद किया और कम मूल्य पर बाहर निर्यात कर दिया। यह सरकार की गलती है कि उसने बाजार मांग को देखा ही नहीं और स्टॉक के रखने में दकियानुसी की और संकट की ओर ढकेल दिया। अनुचित ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गयी। सरकार द्वारा तेल कीमतों पर से नियंत्रण हटाने के बाद तेल कम्पनियों ने पाँचवीं बार तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी की।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक जनता से अपील करती है कि वे आगे आये और सरकार की कठोर रवैये के प्रति आवाज उठाये और मांग करें कि बढ़ती महँगाई को रोकने के लिये किसानों को पूर्ण प्रोत्साहन दी जाये, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकें, वायदा कारोबार पर रोक लगाये, खाद्य पदार्थों का निर्यात रोके तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करें। महँगाई जिसने आम आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और देश के करोड़ों घरों के बजट को बर्बाद कर दिया इन सबके विरुद्ध पार्टी राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी।

(अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय सचिव मंडल का प्रस्ताव)

घोटाले मात्र घोटाले नहीं जनता के पैसे की लूट की योजना है

जब पहली संप्रग सरकार वामपंथी दलों के समर्थन से बनी थी तो कई जनहीत के कार्य किये गये जैसे नरेगा, सुचना का अधिकार का कानून, आदिवासियों के अधिकार, असंगठित मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा आदि कई कानून बनाये गये। लेकिन संप्रग द्वितीय सरकार ने इन कानूनों में कुछ भी नया नहीं जोड़ा। इसके अलावा सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जुड़ी हुई है।

पूर्व में इजराईल के साथ 60,000 करोड़ रुपये के हथियारों की खरीद में 20 प्रतिशत के कमीशन का मुद्दा सरकार ने अनदेखा कर दिया। लेकिन विपक्ष के दबाव के कारण अब एक जाँच समिति बैठाई गई है। तब उसके पश्चात् एक अन्य 60,000 करोड़ रुपये के दिल्ली में आयोजिन कॉमन वेल्थ गेम्स के

घोटाले का खुलासा हुआ, मुम्बई का आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है, 1000 करोड़ का बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम लोन घोटाला, इन सभी घोटालों के अलावा 1,76,645 करोड़ रुपये का 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला आदि सरकारी के असली चेहरे को बेनकाब करते हैं। ये सभी घोटाले मात्र घोटाले ही नहीं बल्कि जनता के पैसों की लूट है।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक का मत है कि एक के बाद एक बढ़ते घोटाले उदारवादी आर्थिक नीति का नतीजा है। सत्ताधारियों से पूँजीवादियों के साथ बढ़ते रिश्तों से अफसरशाहों और पूँजीपतियों को जनता के पैसों, प्राकृतिक संशाधनों को लूट की खुली छूट दे रही है और देश को नुकसान पहुँचा रही है। सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को दरकिनार करके इन्हें रोकने की बजाय देश को अंधेरे में रखकर गलत और झूठे तर्क दे रही है।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रव्यापि आंदोलन करेगी। भ्रष्टाचार आज एक शरीर में केंसर के सामान प्रशासन में फैल चुका है। पार्टी जनता से अपील करती है कि वे आगे आये और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में भाग लें।

(अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय सचिव मंडल का प्रस्ताव)

कांग्रेस नीत संप्रग सरकार की देन- अभूतपूर्व भयावह घोटाला और परिणामस्वरूप संसद में जारी गतिरोध

हाल में दो अप्रत्याशित घटनाओं को जनता ने नाराजगी और गहरे क्षोभ के साथ देखा है जो घोटालों की श्रृंखला और सत्ताधारी संप्रग सरकार में केन्द्र में जारी घोर भ्रष्टाचार के रूप में सामने आया। जिसके कारण नवम्बर-दिसम्बर 2010 के शीतकालीन सत्र का सम्पूर्ण समय घोटाले के संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जाँच कराने की मांग को अस्वीकार करने के कारण उत्पन्न गतिरोध में बीत जाने दिया गया। कांग्रेस नीत संप्रग सरकार इन दोनों ही मामलों में लिप्त है और जिम्मेवार है। राष्ट्र के समक्ष उन्हें जवाब देना होगा कि सरकार तथा मंत्रियों - नेताओं के इन बड़े घोटालों के कारण जनता के बीच में शर्मनाक छवि के लिये और संसद में उत्पन्न गतिरोध की दशा के कारण लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिये कौन जिम्मेवार है?

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में कोई भी महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। हम सभी वामदल संसद के नियमित रूप से चलने के पक्ष में रहे हैं क्योंकि ऐसा लोकतंत्र की सुरक्षा और जनता के हित के लिये जरूरी है। परन्तु विपक्ष के द्वारा जनहित के विषयों पर संसद में उद्वेलित होना और प्रश्न उठाना भी उचित है। और अक्सर ऐसे आक्रोश पर दिशा निर्धारण इस बात से होता है कि राजनैतिक दल विषयों के प्रति कितने गंभीर है। यहाँ तो मुख्य मुद्दा 2जी स्पेक्ट्रम जैसे बड़े घोटाले का था, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में हुये घोटालों में अकेला सबसे बड़ा घोटाला रहा है। इस घोटाले के बारे में कैग की रिपोर्ट के अनुसार देश के खजाने का 1.76 लाख करोड़ रुपया लूट लिया गया। इस घोटाले के सभी तथ्यों की जांच के लिये विपक्ष ने संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की थी।

यदि विपक्ष भी इतने बड़े अप्रत्याशित घोटाले को हल्के में लेता तो इसके लिये विपक्ष को भी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता। इस तरह संयुक्त संसदीय समति के गठन की मांग विपक्ष के द्वारा सही ही की गयी है। यदि इस मांग को आधार बनाकर संसद में गतिरोध जारी है और यह आरोप कांग्रेसी नेता लगाते है तो इसमें सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वह आगे बढ़कर गतिरोध को दूर करें और संयुक्त संसदीय समिति का गठन करें।

लेकिन शायद सरकार की मंशा और दृष्टिकोण कुछ भिन्न है। वह संसद में जारी गतिरोध को झेल सकती है और विपक्ष के न्यायोचित संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग को ठुकरा सकती है। ध्यान रहे कि सत्ताधारी दल के द्वारा संसदीय लोकतंत्र को गहरी क्षति प्रदान करने के लिये यह सरकार सदैव याद की जायेगी।

संसदीय जाँच समिति की यह मांग कोई नई नहीं है। भ्रष्टाचार के छोटे मामलों में भी संसदीय जाँच समिति का गठन पूर्व में भी कम से कम चार बार हो चुका है। पूर्व में, इसी कांग्रेस पार्टी ने संसदीय जाँच समिति की मांग कर चुकी है। लेकिन वर्तमान मामले में, दोषियों को पकड़ने और पहचानने के लिये, यह जानना आवश्यक है कि इतने बड़े घोटाले करने के लिये किस प्रकार के तरीके का इस्तेमाल कर रहे है। इसके अलावा, इन पहचानों के आधार पर, यदि आवश्यक हो तो कानून को दुरूस्त करने अथवा नये कानून बनाने की सिफारिशत कि जाये। दूसरी ओर, लोक लेखा समिति (पब्लिक अकाउंट्स कमिटि - पीएसी) या अन्य कोई भी संसदीय कमिटी इस जाँच को संपन्न नहीं कर सकती, इसे एकमात्र संसदीय जाँच समिति ही संपन्न कर सकती है।

दूसरी तरफ, सरकार और कांग्रेसी नेता अन्य कई तरह की जाँच के रास्ते सुझा रहे है जैसे - लोक लेखा समिति, सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में सीबीआई जाँच आदि, लेकिन संसदीय जाँच समिति का गठन क्यों नहीं करने की इजाजत दे रहे है, इसके लिये कोई भी व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर पा रहे है। यह संदेह होता है कि सरकार इन घोटालों के विषय में बहुत कुछ जानती है लेकिन वह सबकुछ छुपाना चाहती है।

प्रधानमंत्री जी कह रहे है कि इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है और वे लोक लेखा समिति के प्रस्तुत होने को तैयार है। लेकिन संसदीय जाँच समिति के आगे क्यों नहीं ?इसकी व्याख्या देने से वे विमुख हो रहे है। यह ठीक ही चिन्हित किया गया कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले का दायरा व घेरा मात्र

लोक लेखा समिति के इर्द-गीर्द ही क्यों ?जबकि लोक लेखा समिति का दायरा मात्र इतना है किवह लेखा-नियन्ता और लेखा परिक्षण (सीएजी - कन्ट्रोलर एण्ड आडिट जनरल) की रिपोर्ट को पैरा दर पैरा जाँच कर सकता है, अत: व्यापक जाँच के लिये संसदीय जाँच समिति का गठन राजनीतिक तौर अतिआवश्यक है और इसका दायरा भी काफी बड़ा है। यदि स्पेक्ट्रम घोटाले की जाँच उचित ढंग से नहीं कि गई तो, देश में भ्रष्टाचार के मामले में और तेजी से बढ़ेंगे और संप्रग सरकार की मौजुदगी में अर्थव्यवस्था की अंधाधुँध तरीके से लूट होगी तथा जिसे रोकना मुश्किल हो जायेगा। कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, आदर्श को-ऑपरेटिव सोसाईटी घोटाला, अवैध खनन और कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में जबरन भूमी हथियाने की समस्या का समाधान सही ढंग से नहीं हो पायेगा। कर्नाटक की भाजपा सरकार के भाईभतीजावाद और भ्रष्टाचार की जाँचे उपयुक्त तरीके से नहीं हो पायेगी। अत:, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जाँच में किसी भी तरह की नरमी ठीक नहीं है।

अत:, हम यह मांग करते हैं कि संसदीय जाँच समिति (जेपीसी) का गठन कर 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की गहरी जाँच करें और सरकार से अनुरोध है कि संसद के बजट सत्र को अनुकुल तरीके से चलाने के लिये पारस्परिक समहती का माहौल तैयार करे।

(अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय सचिव मंडल का प्रस्ताव)

बढ़ती महँगाई के खिलाफ आंदोलन का आह्वान

भारत की चारों वामपंथी दलों सीपीआई(एम), सीपीआई, फारवर्ड ब्लॉक और आरएसपी तथा जनता दल (स), टीडीपी, एआईएडीएमके और आरएलडी ने 3 फरवरी से 9 फरवरी 2011 तक संयुक्त रूप से महँगाई के खिलाफ आन्दोलन का आह्वान किया।

उन्होंने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया:

आज देश की जनता खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से परेशान है। प्याज और सब्जियों के दाम आम आदमी की पहुँच से दूर हो गया। खाद्य मुद्रास्फीति असहनीय स्थिति पर पहुँच गया। सामान्य मुद्रास्फीति की दर 8.5 प्रतिशत का होना जनता पर एक अन्याय पूर्ण कर है। देश की जनता महँगाई से त्रस्त होकर चिल्ला रही है, और देश के प्राकृतिक संशाधनों की खुली लूट और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है।

फिर भी, संप्रग सरकार जनता के विरह को मूकता से निष्ठुर होकर देख रही है। सरकार सिर्फ झूठे आवश्वासन देती रहती है कि महँगाई घटेगी। संप्रग सरकार के मंत्री महँगाई से निपटने के लिये विभिन्न-विभिन्न और विरोधाभासी बयानबाजी करते रहते हैं।

सरकार महँगाई घटाने के लिये कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है। इसके विपरीत, इसकी नीतियां मुद्रास्फीति में योगदान दे रही हैं।

स जब से पेट्रोल की कीमतों में ढील देने के बाद सात पर दाम बढ़ाकर पेट्रोल की कीमतों में 20 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हो चुकी है। पेट्रोल कम्पनियों ने महीने में दो बार मूल्य वृद्धि की। सीधे-सीधे 5.50 रुपये प्रति लीटर की मूल्य वृद्धि इस माह हुई।

स खाद्य वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं की वायदा काराबार की अटकलों को बन्द नहीं कर रही है।

स प्याज जैसी वस्तुओं को बिना सोचे-समझे आयात-निर्यात के पैमाने ने महँगाई और बढ़ा दी और निजी व्यवसायी कम्पनियों को मुनाफा कमाने की खुली छूट दे दी।

लेकिन बढ़ती महँगाई का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा। कई क्षेत्रों में, किसानों की हालत खराब है और वे आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को न तो उनके उत्पाद की सही कीमत मिल पा रही है और न ही खेती के नुकसान का सही मुआवजा मिल पा रहा है। बिना मौसम के बारिश से कसानों को होने वाले घाटे को पाटने के लिये केन्द्र सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।

मनमोहन सिंह सरकार खुदरा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भातर में लाने के लिये ललायित है। जिसका सीधा तौर असर लाखों दुकानदारों और व्यसायियों के जीवन पर पड़ेगा।

महँगाई को रोकने में विफल सरकार और बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिये, हमलोग, ऊपर वर्णित राजनीतिक दलों, ने देशव्यापि आन्दोलन करने का निर्णय किया है। और यह मांग करते है कि-

1. खाद्य वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं की वायदा करोबार बन्द करो।
2. सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक करो; अनाजों की अधिकता को भारतीय खाद्य निगम को बीपीएल दर पर उपलब्ध कराओ।
3. कालाबाजारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाओ।
4. किसानों को उनके उत्पाद के लिये उचित मूल्य दो तथा उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिये संपूर्ण सहयोग उपलब्ध कराओ।
5. पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को बाजार नियंत्रण से हटाकर नियंत्रित करो; पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करो तथा करों का अनुपातिक ढंग से युक्तिसंगत करो।
6. खुदरा क्षेत्रों में विदेशी पूँजीपतियों को आने से रोको।

साप्ताहिक आंदोलन

हमलोगों ने निर्णय किया है कि बढ़ती कीमतों के खिलाफ 3 फरवरी 2011 से 9 फरवरी 2011 तक सप्ताहिक आंदोलन करेंगे। इस सप्ताह के दौरान, केन्द्र सरकार के कार्यालयों का घेराव करेंगे, विरोध प्रदर्शन, धरना और रैलियां निकालेंगे। 9 फरवरी 2011, सप्ताह के अंतिम दिन, नई दिल्ली में हजारों की संख्या में नई दिल्ली में धरना करेंगे जिसमें सभी पार्टियों के मुख्य नेता उपस्थित रहेंगे।

पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार ने की देश प्रेम दिवस की घोषणा

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी की यह मांग की 23 जनवरी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म जयन्ती को देश प्रेम दिवस के रूप में घोषणा की जाये। इसके तहत पार्टी महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास देश के सभी राजनीतिक दलों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस मांग के समर्थन में पत्र लिखते रहे है। वर्ष 2010 में जनवरी माह में बिहार की नीतिश सरकार ने 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया। इसके अलावा नई दिल्ली के कंस्टिट्युशन क्लब, रफी मार्ग में 5 मई 2010 को नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी क्रम में 30 दिसम्बर 2010 को भी अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास ने सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध स्वरूप पत्र लिखा कि वे अपने-अपने राज्य की विधानसभा में देश प्रेम दिवस के समर्थन में आवाज उठायें। इसके अलावा उन्होंने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर यह मांग किया की वे अपने राज्य में देश प्रेम दिवस की घोषणा करे तथा केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्तर पर 'देश प्रेम दिवस' की घोषणा के समर्थन में पत्र भी लिखे। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की ओर से पूरे देश में 12 व 13 जनवरी 2011 को भूख हड़ताल, कोर्ट अरेस्ट, धरना व प्रदर्शन किया गया।

पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा ने स्वीकार कर लिया और वाममोर्चा कमिटी के अध्यक्ष साथी बिमान बोस ने 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस की घोषणा के लिये प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा। 23 जनवरी 2011 को 'देश प्रेम दिवस' की दिशा में उल्लेखनीय बात यह रही कि हमारी देश प्रेम दिवस की मांग को पश्चिम बंगाल की सरकार ने समर्थन किया और मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल में देश प्रेम दिवस की घोषणा कर दी और साथ ही साथ उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसकी पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा के लिये पत्र भी लिखा। पूरे पश्चिम बंगाल में नेताजी की जन्मजयन्ती व्यापक स्तर पर बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया गया।

दिल्ली : 23 जनवरी 2011 को अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कार्यालय में साथी जी. देवराजन ने झण्डा रोहण किया गया तथा नेताजी की प्रतिमा पर साथी अनुज बसु ने फूलमाला चढ़ाई, एवं साथी अशोक कुमार ने फूल अर्पित किये। इसके बाद दिल्ली राज्य कमिटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आई.टी.ओ. शहीद भगत सिंह पार्क पहुँचे जहाँ ढोल बाजे के साथ लगभग 500 लोगों की लम्बी कतार के साथ नेताजी सुभाष पार्क तक मार्च किया। पूरे रास्ते दरियागंज के निवासियों व विदेशी शैलानियों ने भी इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा की। औरतों बच्चों, दुकानदारों आदि ने अपनी-अपनी छतों पर खड़े होकर इस शानदार रैली को देखा और सराहा और देखने वाले सभी लोगों के चेहरों पर एक अनकही सी खुशी दिखाई देती थी। नेताजी सुभाष पार्क में एक सभा का आयोजन किया गया जिसे साथी जी. देवराजन, साथी धर्मेन्द्र वर्मा, साथी विरेश्वर चटर्जी, साथी महादेव गुप्ता, साथी राजेश, साथी पप्पू, साथी माया रानी गुप्ता, साथी शेष कुमार, साथी पी.एन. द्विवेदी, साथी मनोज पासवान आदि ने संबोधित किया।

हरियाणा: 23 जनवरी 2011 को हरियाणा के सोनीपत जिला के सुभाष चौक पर देश प्रेम दिवस की मांग के समर्थन में जुलूस निकाली गयी। जिसका संचालन साथी नवीन अंतिल ने किया। जुलूस में लगभग 70 लोगों ने हिस्सा लिया। हरियाणा वासियों के लिये इस शेर के निशान के साथ इस तरह की जुलूस एक नया अनुभव था। जुलूस को मुख्य रूप से साथी रविन्द्र (ऑ इण्डिया यूथ लीग हरियाणा राज्य कमिटी अध्यक्ष), साथी परवेश चिकारा (कोषाध्यक्ष ऑल इण्डिया यूथ लीग), साथी सतीश तेहलान (सचिव ऑल इण्डिया यूथ लीग), साथी मोनू, साथी दिनेश आदि ने संयोजित किया। इस अवसर पर ऑल इण्डिया यूथ लीग की हरियाणा प्रदेश इकाई ने मिठाई भी वितरीत किया तथा प्रशासन से सुभाष चौक पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना की मांग की।

झारखण्ड : झारखण्ड में विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा देश प्रेम दिवस के संदर्भ में संगोष्ठियों का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर पार्टी ने जनता में अपने अधिकारों के प्रति संघर्षशील होने के लिये जागरूकता अभियान चलया जिसके तहत लोगों को देश में फैले भ्रष्टाचार, अंधा कानून, सरकारी स्तर पर विभिन्न जनहित योजनाओं की अनदेखी आदि के विषय पर जनता को जागरूक किया। तथा यह भी घोषणा किया की देश प्रेम दिवस के लिये हम सरकार से लगातार अपना संघर्ष से जारी रखेंगे।

बिहार : बिहार के राज्य कार्यालय रामकृष्णा नगर, पटना में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के तैल्य चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा पार्टी महासचिव ने झण्डातोलन किया तथा बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुभाष पार्क में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस संग्रहालय बनाने का भी मांग किया। मुजफ्फरपुर इकाई ने जिला कार्यालय पर पार्टी झण्डारोहण किया तथा सभा का आयोजन किया तथा नेताजी के जन्मदिन को देश प्रेम दिवस की घोषणा

के समर्थन में नारे लगाये। शिवहर जिला इकाई ने साथी धर्मेन्द्र कुमार की अगुवाई में मुख्य राष्ट्रीय मार्ग बाई पास पर विशाल रैली का आयोजन किया। कई साईकिल, मोटरसाईकिल रिक्शा तथा पदयात्रा के जरिये रैली निकाली गयी। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस के समर्थन में लोगों ने तथा स्कूली बच्चों ने भी इस रैली में भाग लिया। इसके अलावा छपरा, नालंदा, गया आदि में भी देश प्रेम दिवस का आयोजन किया गया।

मध्य प्रदेश : 23 जनवरी देश प्रेम दिवस पर मध्य प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्वालियर संभाग में प्रदेश महासचिव साथी रामअवतार पचौरी ने एक जुलूस का आयोजन किया तथा एक विवादीत क्षेत्र जहाँ किसी पार्टी से संबंधिक पारिवारिक नेता की प्रतिमा का अनावरण होना था उस स्थान पर उन्होंने जाकर सभा का आयोजन किया तथा नेताजी के प्रति भाजपा व कांग्रेस दोनों की सरकारों के बेरूखी रवैये की घोर निंदा कि तथा उन्होंने कहा आज हमें स्वयं को आजाद भारत का नागरिक कहलाते है तो वह सिर्फ सुभाष चन्द्र बोस की वजह से। जिस देश को उन्होंने आजाद कराया उसी देश में उनके प्रति बार–बार अनादर किया जा रहा है। सरकार ने महात्मा गाँधी के जन्मदिन को राष्ट्रीय त्यौहार घोषित किया, नेहरू के जन्म दिन को बाल दिवस घोषित किया जबकि इस महान देशभक्तों के देशभक्त नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन को देश प्रेम दिवस घोषित करना ही नहीं चाहती। यह देश आज एक परिवार की बपौती बन कर रह गयी है। और कहा कि इस स्थान पर यदि कोई प्रतिमा लगेगी तो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की वरना फारवर्ड ब्लॉक किसी भी मूर्ति की स्थापना यहाँ नहीं होने देगी।

(अन्य राज्यों से समाचार प्राप्ति के पश्चात् अगले अंक में)

बजट पूर्व परामर्श : केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की मांग, महँगाई रोकने के लिये विशेष कदम उठाये जायें

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें इस बात से उत्साहित हुई कि बजट पूर्व परामर्श के लिये उन्हें निमंत्रित किया गया और उन्होंने आशा व्यक्त किया कि भारत देश की जनता के मजदूरों के हितों के लिये सामूहिक रूप से उनके द्वारा उठाये गये सवालों और निदानों को गम्भीरता से लिया जायेगा।

देश की सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें टीयूसीसी, सीआईटीयू, एआईटीयूसी, बीएमएस, आईटीयूसी, एचएमएस, एआईयूटीयूसी, एआईसीसीटीयू, यूटीयूसी, ने 12 जनवरी 2011 को वित्तमंत्री को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने देश के 'आम आदमी की समस्याओं के प्रति केन्द्र सरकार जनविरोधी नीतियों, महँगाई के द्वारा देश की जनता की कमाई की खुली लूट के प्रति आवाज उठाई है। ज्ञापन इस प्रकार है:

हम सभी देश की गंभीर समस्याओं पर विचार करने के उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुये है। चिंताजनक कृषिसंकट, मुद्रास्फीति, बढ़ती महँगाई, बेरोजगारी के समय में नौकरियों का खात्मा ये सभी समस्यायें चारों हाहाकार मचा रही है। देश की आर्थिक नीति देश के कुछ पूँजीपतियों के हितों के लिये ही बनाई जा रही है लेकिन देश की जनता के सबसे बड़े हिस्से को अनदेखा कर दिया जा रहा है। जबकि बजट जनहीत में होना चाहिये। हम आपसे ये पूर्ण आशा करते है कि आने वाला बजट पूरी तरह से गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और देशहीत में होगा। हम अपना विशेष प्रस्तावों को पेश कर रहे हैं:

- महँगाई रोकने के लिये विशेष कदम उठाये जायें; वायदा करोबार पर रोक लगाई जाये; सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके सार्वभौमिक किया जाये; जनता पर बोझ घटाने के लिये पेट्रोलियम पदार्थों के टैक्स/ड्यूटी/शुल्क कम किये जायें।
- सरकारी संस्थानों में नौकरी पर प्रतिबंध, आईएलसी की 43 वें सत्र के दौरान सुझाया गया सार्वजनिक संस्थानों के स्वायत्तशासी संस्थान बनाने से, बड़ी संख्या में नौकरियां समाप्त हो गयी जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ गयी।
- जनता के खजाने का इस्तेमाल इस उद्देश्य से किया जाये कि छंटनी पर रोक लगे, वीआरएस, निलंबन, तालाबंदी, मजदूरी में कटौती आदी पर रोक लगाने व रोजगार बढ़ाने हेतु हो।
- आईसीडीएस, मध्यान्ह भोजन योजना, विद्या स्वयंसेवक, मेहमान शिक्षकों, शिक्षा मित्र आदि में संलग्न सभी को नियमित किया जाये मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य क्रियाओं में लगे लोगों को न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिये तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आईसीडीएस को सार्वभौमिक किया जाना चाहिये।
- मनरेगा का क्षेत्र शहरों में भी बढ़ाना जाये और कम से कम 200 दिन की मजदूरी तय की जानी चाहिये, जैसा कि आईएलसी की 43 वें सत्र में सुझाया गया था।
- असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 के अंतर्गत लाभार्थीयों हेतु दर्शाये गये प्रतिबंधित नियमों को हटाया जाना चाहिये तथा राष्ट्रीय कोष द्वारा सुनिश्चित कोष को ठेकेदारी मजदूरों/कैजुअल स्तर पर कार्यरत छोटे मजदूरों को मिलाकर आदि सभी को लाभ पहुँचाना चाहिये, जिसकी अनुशंसा मजदूरों की संसदीय स्थायी समिति में तथा 43वें आईएलसी के सत्र में भी की गई है।
- किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिलना चाहिये। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिये तथा कृषि को सकल

घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिये मजबूती से संवर्धित किया जाना चाहिये। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि इसका फायदा किसानों को ही मिले न कि बड़ी कम्पनियों को और पूँजीपतियों को।

- उभरते नये औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिये मकान, स्वास्थ्य, पानी, विद्यालय, आंगनवाड़ी आदि आवश्यक सेवाओं का बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिये। कामगार महिलाओं के लिये होस्टल की सुविधा होनी चाहिये जहाँ कामगार महिलाओं की देख-रेख की जा सके।
- बैंकिंग, बीमा जैसे वित्तीय संस्थानों को हाल ही के लिये विश्वव्यापी मंदी के मद्देनजर सुधारात्मक कार्य करने चाहिये। औधोगिक घरानों को बैंकों, बीमा कम्पनियों और पेंशन में सुधारात्मक कर्यों के तहत इजाजत नहीं मिलनी चाहिये।
- सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई जो जर्जर हालत से गुजर रही है उनमें निजी पूँजी निवेश रोकना चाहिये और विश्वव्यापी मंदी से बचने लिये उन्हें मजबूत व सुदृढ़ करना चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्रों के शेयरों का विनिवेश रोकना चाहिये।
- केन्द्रीय सार्वजनिक इकाईयों की बिगड़ती हालत में सुधार के लिये बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिये।
- हमारे परंपरागत क्षेत्रों जैसे जुट, टैक्सटाइल, पौधारोपण, हथकरधा और नारीयल जुट आदि उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- सभी को शिक्षा का ध्यान रखते हुये बजट में मौलिक शिक्षा के लिये प्रावधान में बढ़ोतरी की जानी चाहिये ताकि बाल मजदूरी पर रोक लगाई जा सके।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना के स्वरूप में परिवर्तन किया जाना चाहिये और इसकी गणना श्रमिकों को होने वाले वित्तीय घाटे को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये। डीए की गणना छः महीनों की बजाय प्रत्येक तीन माह में किया जाना चाहिये।
- कच्चे पदार्थों/प्राकृतिक खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध या रोक लगा देनी चाहिये और इसका प्रयोग रोजगार उत्पन्न करने, वित्तीय सहायता को बढ़ाने आदि के लिये घरेलू स्तर पर किया जाना चाहिये। विशेषकर, आयरन-ओर का निर्यात रोक देना चाहिये और घरेलू स्टील बनाने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए।
- आयकर में छूट वेतनधारियों के लिये प्रतिवर्ष तीन लाख तक कर देना चाहिये तथा अन्य कार्यों जैसे मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर से टैक्स वसूली जानी चाहिये।
- ईपीएफ योजना के तहत ईपीएफ और सीबीटी के लिये 20 मजदूरों के सीमा को 10 मजदूरों तक कर देना चाहिये। ईपीएस के अंतर्गत पेशन का लाभकारियों को सरकार बंद कर दें।
- बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े पूँजीपतियों का खुदरा बाजार में आगमन रोक देना चाहिये।

इस संदर्भ में हम निम्नलिखित सुझाव रखते है:

- अमीरों और कर अदा करने योग्य लोगों को छोड़कर जो कर अदायगी कर सकते है, एक प्रगतिशील कर प्रणाली बनाई जानी चाहिये। पूँजीपति सेवा क्षेत्र, व्यवसायी, थोकविक्रेता व्यवसायी, निजी अस्पताल और संस्थान आदि पर अधिक टैक्स लगाना चाहिये। विलासिता की वस्तुओं पर अधिक टैक्स लगाना चाहिये और आवश्यक वस्तुओं से टैक्स घटा देना चाहिये।
- टैक्स अदा न करने वाले पूँजीपतियों, कम्पनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाये जाने चाहिये।
- काले धन का पता लगाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिये विशेष कदम उठाये जाने चाहिये। वित्त मंत्री को विशेष कदम उठाते हुये विदेशों में जमा भारतीय पैसों को भारत में लाने की योजना बनानी चाहिये। जिससे हमारे देश की सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी।
- कारपोरेटरों और व्यवपारियों द्वारा एनपीए के तहत लिये गये बैंक से धन की उगाही के लिये सुदृढ़ योजना बनाई जानी चाहिये।
- अचल सम्पत्तियों पर टैक्स लगाना चाहिये।
- वेल्थ टैक्स, कारपोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स आदि को बढ़ाना चाहिये।
- वर्तमान टैक्स प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये और छोटे व्यवसायियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को परेशान करने वाली नहीं होनी चाहिये। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां निजी क्षेत्रों से अधिक टैक्स अदा कर रही है।
- आईटीईएस, आउटसोर्सिंग क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सेवाओं आदि जो व्यवसायिक उद्देश्य से प्रायोजित है उन्हें टैक्स के दायरे में लाना चाहिये।

हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुझाये गये सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जायेगा। हम आशा करते हैं कि बजट के उपरान्त भी बजट चर्चा के लिये जिस प्रकार कारपोरेट एसोसिएशनों और फेडरेशनों को आमंत्रित किया जाता है हमें भी आमंत्रित किया जायेगा।

महान क्रान्तिकारी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म तिथि 23 जनवरी को
स्मरण करते हुये जनवादी कवि हरिहर ओझा 'तरण' की श्रद्धांजलि

एक और जनक्रान्ति के लिये

देश के शोषक-उत्पीड़क का,
साम्राज्यवाद से गहरा रिश्ता,
मेहनत कशों को राज न मिल जाये,
ऊपर लगा है इनका पहरा ।।1।।
शासन के सिंहासन पर जा,
आसन मार बैठे अपराधी,
दोनों हाथों से लूट रहा है,
मुँह से जपता गाँधी-गाँधी।।2।।
वंशवाद विषबेल चढ़ गयी,
राजनीति की ठठरी पर,
जाति धर्म की रेल दौड़ती,
धन-धन-तंत्र की पटरी पर।।3।।
त्राहि-त्राहि चहुँ ओर मची है,
कैसे आये सच्ची आजादी,
जनता का जनतंत्र हो कैसे,
मिट पाये कैसे बरबादी।।4।।
जब एक ओर जनक्रांति लिये,
हाथों में प्राणांजलि होगी,
अब वही अमर शहीदों के प्रति,
सच्ची श्रद्धांजलि होगी।।5।।